भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3424
दिनांक 7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

†3424. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्रीमती भारती पारधी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में नए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने के लिए कुल कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त राज्यों के सभी प्रमुख अस्पतालों के लिए केंद्रीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली विकसित करने हेतु 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) उक्त राज्यों के नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी सृजित करने तथा उन्हें स्थानीय अस्पतालों की बाह्य रोगी (ओपीडी) सेवाओं एवं मरीज अभिलेखों (केस पेपर) से जोड़ने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का उक्त राज्यों की मलिन बस्तियों में गरीब मरीजों को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 'राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन' के अंतर्गत मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या बढ़ाने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या उक्त राज्यों में इन डिजिटल अभिलेखों का उपयोग कर भविष्य की महामारी के स्वरूपों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने के लिए कोई विशेष केंद्रीय तकनीकी सहायता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई कुल धनराशि क्रमशः 2,496.92 करोड़ रुपये और 3,047.35 करोड़ रुपये है।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग (XV-एफ़सी) के स्वास्थ्य अनुदान के तहत, क्रमशः 1,539.71 करोड़ रुपये और 778.41 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए एनएचएम के तहत राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) संबंधी अनुमोदन से जुड़े 'कार्यवाही रिकॉर्ड' (आरओपी), एनएचएम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें निम्नलिखित लिंक (https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744) पर देखा जा सकता है।

(ख): महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख अस्पतालों के लिए एक केंद्रीयकृत डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली सृजित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा दिनांक 27 सितंबर, 2021 को एबीडीएम शुरू करके कार्यान्वित किया गया जो मानकों पर आधारित, अंतःप्रचालनीय, सुरक्षित और स्वीकृति-आधारित डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम प्रदान करता है।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसके तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तैनात मानव संसाधनों को सहयोग देने, विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण और आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है।
- इस मिशन ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों के बीच स्वास्थ्य अभिलेख के सुरक्षित और स्वीकृति-आधारित आदान-प्रदान को संभव बनाने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अभिलेख (आभा), स्वास्थ्य सुविधा केंद्र रजिस्ट्री (एचएफ़आर), स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर रजिस्ट्री (एचपीआर) और हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर (एचआईई-सीएम) की स्थापना की है।

(ग): दिनांक 16 जुलाई 2026 तक, महाराष्ट्र राज्य में कुल 7.3 करोड़ आभा बनाए जा चुके हैं और 2.5 करोड़ स्वास्थ्य अभिलेखों को आभा से लिंक किया जा चुका है। एचएफआर और एचपीआर पर क्रमशः 36,045 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र और 99,541 स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, 16,053 जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्र और 6,822 निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र एबीडीएम (एबीडीएम) सक्षम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

इसी प्रकार, दिनांक 16 जुलाई 2026 तक, मध्य प्रदेश राज्य में कुल 5.88 करोड़ आभा बनाए जा चुके हैं और 2.66 करोड़ स्वास्थ्य अभिलेखों को आभा से लिंक किया जा चुका है। एचएफआर और एचपीआर पर क्रमशः 20,080 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र और 18,634 स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, 8,984 जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्र और 2,327 निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र एबीडीएम सक्षम सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं।

(घ): राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) सहित एनएचएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने एसपीआईपी में चिन्हित की गई स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू)/मोबाइल मेडिकल वैन (एमएमवी) तैनात करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त है। अतिरिक्त एमएमयू की तैनाती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आकलित आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में क्रमशः कुल 103 और 72 एमएमयू/एमएमवी परिचालित हैं।

(ङ): भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के संस्थागत और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित किए हैं, जो रोग-निगरानी, विश्लेषण और महामारी-तत्परता के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) के माध्यम से, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य सहित देशभर में, महामारी-प्रवण रोगों की रिपोर्टिंग, विश्लेषण और अनुक्रिया के लिए वास्तविक समय, मामले-आधारित डिजिटल निगरानी प्रणाली प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय रोग मॉडलिंग कंसोर्टियम (एनडीएमसी), जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे एंकर संस्थान के रूप में कार्य करता है, प्राथमिकता वाले रोगों के लिए जन स्वास्थ्य संबंधी निर्णय-लेने में सहयोग करने हेतु साक्ष्य-आधारित रोग मॉडलिंग, पूर्वानुमान और डेटा विश्लेषण उपलब्ध कराता है। एनडीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर तपेदिक (टीबी), मलेरिया, वाहक-जनित रोग, प्रतिजैविक प्रतिरोध तथा गैर-संचारी रोगों जैसे प्राथमिकता वाले जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
